राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान–सभाकक्ष, प्रथम तल, होटल सेलिब्रेशन, रायपुर में श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. श्री यु.सी. पाण्डेय, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विनय कुमार मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
7. श्रीमती रेजीना टोप्पो, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। ऐजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गई:–

ऐजेन्डा आईटम नं.–1: 168वीं बैठक दिनांक 07/10/2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 168वीं बैठक दिनांक 07/10/2015 को आयोजित की गई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है तथा समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

ऐजेन्डा आईटम नं.–2: परियोजनाओं एवं गौण खनिजों के टीओआर/पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्तुतीकरण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बालेंगा, ग्राम– बालेंगा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (08)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 5487/ख.नि.–2/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रपोजल नं.** – एसआईए/सीजी/एमआईएन/31127/2015

- **खदान का नाम** – ग्राम पंचायत बालेंगा, ग्राम– बालेंगा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 01, 291, ग्राम पंचायत बालेंगा, ग्राम–बालेंगा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 6.81 हेक्टेयर
- **नदी का नाम**– मारकंड़े नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**–1,10,322 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी एवं शैक्षणिक संस्था ग्राम– बालेंगा 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज मार्ग एनएच–30 की दूरी 02 किलोमीटर है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर छत्तीसगढ़।
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर कोई अन्य रेत खदान स्थित नहीं है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत बालेंगा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 5.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 2.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 40 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 70 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 1,36,200 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण

(रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती शांति बघेल, सरपंच, बासुराम शाईल, सचिव एवं श्री हेमंत चेरपा, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। मारकंडे नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 01 एवं 291, कुल लीज क्षेत्र 6.81 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत बालेंगा, ग्राम–बालेंगा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर, (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 68,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत जजगा, ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा (09)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 5487/ख.नि.–2/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रपोजल नम्बर**– एसआईए/सीजी/एमआईएन/31134/2015
- **खदान का नाम** – ग्राम पंचायत जजगा–1, ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 1456, ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर
- **नदी का नाम**– रेहर नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**– 50,000 घन मीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – ग्राम–जजगा 200 मीटर एवं शासकीय स्कूल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय**

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी– 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर एक अन्य रेत खदान जजगा–2, खसरा नं. 927, रकबा – 5.0 हेक्टेयर स्थित है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत जजगा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 2.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 1.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 70 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 230 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 1,00,000 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री गोपाल सिंह पैकरा, सचिव एवं श्री बजरंग सिंह पैकरा, खनि निरीक्षक, अंबिकापुर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। रेहर नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 1456, ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत दुबेउमरगांव, ग्राम– दुबेउमरगांव, तहसील व जिला–बस्तर (10)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र कमांक 5487/ख.नि.–2/रेत (ईसी)/न.क. 38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

- **प्रपोजल नं.** – एसआईए/सीजी/एमआईएन/31152/2015
- **खदान का नाम** –ग्राम पंचायत दुबेउमरगांव, ग्राम–दुबेउमरगांव, तहसील व जिला–बस्तर
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 94 का भाग, ग्राम–दुबेउमरगांव, तहसील व जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 6.45 हेक्टेयर
- **नदी का नाम**– बोरीया नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**–1,30,000 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी एवं शैक्षणिक संस्था ग्राम– दुबेउमरगांव 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज मार्ग एनएच–30 की दूरी 02 किलोमीटर है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– परियोजना प्रस्तावक से यह जानकारी विशेषकर अंतर्राज्यीय सीमा से दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर कोई अन्य रेत खदान स्थित नहीं है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत दुबेउमरगांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 6.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 2.5 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 50 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 80 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 1,61,250 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही

आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती सेवती कश्यप, सरपंच, श्री पुरन सिंह, सचिव एवं श्री हेमंत चेरपा, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। बोरीया नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 94 का भाग, कुल लीज क्षेत्र 6.45 हेक्टेयर, ग्राम–दुबेउमरगांव, तहसील व जिला–बस्तर, (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 64,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत मेण्ड्राकला, ग्राम– मेण्ड्राकला, तहसील–अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा (11)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र कमांक 5487/ख.नि.–2/रेत(ईसी)/न.क. 38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रपोजल नम्बर**– एसआईए/सीजी/एमआईएन/31155/2015
- **खदान का नाम** – ग्राम पंचायत मेण्ड्राकला, ग्राम– मेण्ड्राकला, तहसील–अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 640, ग्राम– मेण्ड्राकला, तहसील–अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा कुल लीज क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर
- **नदी का नाम**– घुनघुटा नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**– 64,000 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी ग्राम–उदयपुरधाब (मेण्ड्राकला) 0.5 किलोमीटर, शासकीय स्कूल 2.0 किलोमीटर एवं शासकीय अस्पताल 2.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय**

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी– 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर कोई अन्य रेत खदान स्थित नहीं है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत मेण्ड्राकला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 2.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 1.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 70 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 150 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 1,28,000 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सोहन राम यादव, सचिव, ग्राम पंचायत मेण्ड्राकला एवं श्री बजरंग सिंह पैकरा, खनि निरीक्षक, अंबिकापुर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि नदी से दोनों तरफ 10–10 मीटर की दूरी छोडकर उत्खनन करना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। घुनघुटा नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 640, ग्राम– मेण्ड्राकला, तहसील–अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा कुल लीज क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 64,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत जजगा, (जजगा – 2 रेत खदान) ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा (12)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 5487/ख.नि.–2/रेत(ईसी)/न.क.

38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

- **प्रपोजल नम्बर–** एसआईए/सीजी/एमआईएन/31156/2015
- **खदान का नाम –** ग्राम पंचायत जजगा–2, ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 927, ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर
- **नदी का नाम–** रेहर नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–** 50,000 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान–** नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – ग्राम–जजगा 200 मीटर एवं शासकीय स्कूल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर एक अन्य रेत खदान ग्राम – जजगा–1, खसरा नं. 1456, रकबा – 5.0 हेक्टेयर स्थित है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत जजगा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 2.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 1.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 85 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 170 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 1,00,000 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन

(सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री गोपाल सिंह पैकरा, सचिव एवं श्री बजरंग सिंह पैकरा, खनि निरीक्षक, अंबिकापुर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। रेहर नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 927, कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर, ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. नगर पंचायत छुरीकला, ग्राम–छूरीकला, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (13)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – आवेदन दिनांक 21/09/2015 को प्राप्त हुआ।
- **प्रपोजल नं.** – एसआईए/सीजी/एमआईएन/31182/2015
- **खदान का नाम** – नगर पंचायत छुरीकला, ग्राम–छुरीकला, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 220 एवं 221, ग्राम– छुरीकला, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर
- **नदी का नाम**–अहीरन नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**–76,000 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी कसरेंगा 0.50 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल 01 कि.मी. छुरीकला में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 111 लगभग 06 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग नं. 1498 लगभग 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – डॉ. डी. के. मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर, (माईनिंग एडमिन.) कलेक्टर ऑफिस, कोरबा (छ.ग.)
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध

या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया।

- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर कोई अन्य रेत खदान स्थित नहीं है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – नगर पंचायत छुरीकला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वन मंडल कटघोरा का प्रमाण पत्र दिनांक 07/01/2014, प्रस्तुत किया गया है।

- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 2.0 मीटर

- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 2.0 मीटर

- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 110 मीटर

- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 130 मीटर

- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – माईनेबल रिजर्व 76,000 घनमीटर है।

- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रस्तुतीकरण के लिए श्री दीपक कुमार देवांगन, उप अभियंता, नगर पंचायत छुरीकला एवं श्री रमाकांत सोनी, खनि निरीक्षक, कोरबा उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि 7–8 कि.मी. तक कोई अन्य रेत खदान स्थित नहीं है एवं आसपास कोई पुलिया नहीं है। अहीरन नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 220 एवं 221 कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर, ग्राम–छूरीकला, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु

संलग्न–06 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. सचिव, ग्राम पंचायत दुल्लापुर, ग्राम–दुल्लापुर, तहसील–कटघोरा, जिला – कोरबा (17)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – आवेदन दिनांक 19/09/2015 को प्राप्त हुआ।
- **प्रपोजल नं.** – एसआईए/सीजी/एमआईएन/31194/2015
- **खदान का नाम** – ग्राम पंचायत दुल्लापुर, ग्राम–दुल्लापुर, तहसील–कटघोरा, जिला – कोरबा
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 01, ग्राम–दुल्लापुर, तहसील–कटघोरा, जिला – कोरबा कुल लीज क्षेत्र 5.665 हेक्टेयर
- **नदी का नाम**–हसदेव नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**–1,34,543 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी ग्राम–दुल्लापुर 0.50 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल 23 कि.मी. चिरमिरी में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 43 लगभग 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – डॉ. डी. के. मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर, (माईनिंग एडमिन.) कलेक्टर ऑफिस, कोरबा (छ.ग.)
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर कोई अन्य रेत खदान स्थित नहीं है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में

स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत दुल्लापुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वन मंडल कटघोरा का प्रमाण पत्र दिनांक 21/01/2014, प्रस्तुत किया गया है।

- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 4 मीटर

- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 2.50 मीटर

- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 145 मीटर

- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 325 मीटर

- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – माईनेबल रिजर्व 1,34,543 घनमीटर है।

- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अशोक कुमार बिंझवार, सचिव, ग्राम पंचायत दुल्लापुर एवं श्री रमाकांत सोनी, खनि निरीक्षक, कोरबा उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि पहले खदान स्वीकृत थी, लगभग 2012 में एक वर्ष के लिये खदान चालू थी। हसदेव नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.50 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 01 कुल लीज क्षेत्र 5.665 हेक्टेयर, ग्राम–दुल्लापुर, तहसील–कटघोरा, जिला – कोरबा (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 84,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. सचिव, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा, ग्राम–भैसामुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (18)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – आवेदन दिनांक 19/09/2015 को प्राप्त हुआ।

- **प्रपोजल नं.** – एसआईए/सीजी/एमआईएन/31197/2015

- **खदान का नाम** – ग्राम पंचायत भैसामुड़ा, ग्राम–भैसामुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा

- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)

- **खदान स्थल** – खसरा नं. 48, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा, ग्राम–भैसामुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा कुल लीज क्षेत्र 6.00 हेक्टेयर

- **नदी का नाम**–हसदेव नदी

- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता**–1,42,500 घनमीटर/वर्ष

- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान

- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी ग्राम–भैसामुड़ा 0.80 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल 6.5 कि.मी. सरगबुंदिया में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 111 लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग नं. 1498 लगभग 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – डॉ. डी. के. मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर, (माईनिंग एडमिन.) कलेक्टर ऑफिस, कोरबा (छ.ग.)

- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया।

- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर कोई अन्य रेत खदान स्थित नहीं है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत भैसामुड़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वन मण्डलाधिकारी कोरबा वन मंडल कोरबा का प्रमाण पत्र दिनांक 03/04/2014, प्रस्तुत किया गया है।

- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 4 मीटर

- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 2.50 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 200 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 500 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – माईनेबल रिजर्व 1,80,000 घनमीटर है।
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रस्तुतीकरण के लिए श्री चंदराम बरेठ, सचिव, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा एवं श्री रमाकांत सोनी, खनि निरीक्षक, कोरबा उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। हसदेव नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.50 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 48 कुल लीज क्षेत्र 6.00 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा, ग्राम–भैसामुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 90,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

9. मेसर्स ऐश्वर्या एम्पायर (संकल्प होम), ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर (19)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक–** आवेदन दिनांक 04/09/2015 को प्राप्त हुआ।
- **प्रपोजल नम्बर–** एसआईए/एनसीपी/1806/2015
- **संस्था का नाम–** मेसर्स ऐश्वर्या एम्पायर (संकल्प होम), ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर
- **स्थल का पता–** खसरा नं.– 146/1–3, 147/1–6, 148/1–3, इत्यादि, ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर
- **भूमि का क्षेत्रफल–** कुल प्लाट एरिया 72,720 वर्गमीटर (17.96 एकड़), कुल बिल्टअप एरिया – 59028.55 वर्गमीटर है।
- **संस्था का प्रकार** – बिल्डिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट
- **परियोजना का विनियोग** – रूपये 200 करोड़
- **10 कि.मी. क्षेत्र में अन्य जानकारी–** रेलवे स्टेशन, रायपुर 6.5 कि.मी. की दूरी पर है। औद्योगिक क्षेत्र उरला – 8.2 कि.मी. दूरी पर है।

- **जल उपयोग की मात्रा–** कुल जल खपत 495 कि.ली. / दिन होगी, जिसमें से 230 कि.ली. / दिन स्वच्छ जल एवं शेष पुर्नउपयोगी जल होगा।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था–** 03 सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट कुल क्षमता 400 कि. ली. / दिन के स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- **ठोस अपशिष्ट की मात्रा–** 1477.5 किलोग्राम प्रति दिन। आर्गेनिक वेस्ट को कम्पोस्टिंग किया जाना प्रस्तावित है। पुनः उपयोगी अपशिष्ट को विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।
- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था –** 13 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रस्तावित है।
- **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था–** 14391 वर्गमीटर।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री निखिल धगट, संचालक एवं उद्योग के सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा छोकरा नाले से लगे हुये 09 मीटर चौड़े बफर जोन में वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता बताई गई, जिसे आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर से किसी भी प्रकार का दूषित जल बाहर निस्सारित नहीं किया जावेगा तथा दो नग डीजी सेट – 125 केव्हीए क्षमता के आकस्मिक उपयोग हेतु लगाया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं.– 146/1–3, 147/1–6, 148/1–3, इत्यादि, ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) में बिल्डिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट – कुल प्लाट एरिया 72,720 वर्गमीटर (17.96 एकड़), कुल बिल्टअप एरिया – 59028.55 वर्गमीटर हेतु **संलग्न–09** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

10. सरपंच, ग्राम पंचायत सिपकोना, ग्राम– सिपकोना, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (21)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक –** यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 5487/ख.नि.–2/रेत (ईसी)/न. क्र.38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रपोजल नं.–** एसआईए/सीजी/एमआईएन/31308/2015
- **खदान का नाम –** ग्राम–सिपकोना, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग
- **खदान का प्रकार –** रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल –** खसरा नं. 737, ग्राम– सिपकोना, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर
- **नदी का नाम –** खारून नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –** 50,000 घनमीटर (85,000 टन)/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान–** नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि –** समीपस्थ अबादी 200 मीटर ग्राम–ढोंढरा में स्थित है। शैक्षणिक संस्थान 300 मीटर ग्राम–ढोंढरा एवं अस्पताल 500 मीटर ग्राम–सिपकोना में स्थित है। राज्य मार्ग 2700 मीटर दूर स्थित है।

- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर छत्तीसगढ़।
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत सिपकोन्हा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 6.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – औसत 70 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – औसत 150 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 1,27,500 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती चमेली बाई निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत सिपकोना एवं श्री प्रवीण चंद्राकर, माईनिंग इंस्पेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। खारून नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से खसरा नं. 737, कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर, ग्राम– सिपकोना, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घन मीटर

/वर्ष हेतु **संलग्न–10** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

11. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (खैरा स्टोन क्वारी), ग्राम–खैरा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (23)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – दिनांक 28/09/2015
- **प्रपोजल नम्बर–** एसआईए/सीजी/आईएनडी/31342/2015
- **खदान का नाम** – मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (खैरा स्टोन क्वारी), ग्राम–खैरा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
- **खदान का प्रकार** – स्टोन माईन (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 152/5, 152/6, 156 एवं 158 कुल लीज क्षेत्र 2.812 हेक्टेयर, ग्राम–खैरा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी/शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी ग्राम–खैरा 1.0 किमी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक – 06, लगभग 46 किमी एवं राज्यमार्ग क्रमांक – लगभग 09 किमी की दूरी पर है।
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – 37,998.97 टन/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान–** नई खदान
- **एल.ओ.आई./माईनिंग लीज बाबत् जानकारी** – प्रस्तुत की गई है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी–** श्री बी.के. चन्द्राकर, उप संचालक (ख. प्रशा.), कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी–** 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी–** कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान की सीमा से 500 मीटर के परिधि में अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी–** ग्राम पंचायत अमेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है।
- **आवेदन अनुसार माईनेबल एवं जियोलॉजिकल रिजर्व की मात्रा** – माईनेबल रिजर्व 2,36,256.24 टन है।
- **आवेदन अनुसार उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई** – 6.0 मीटर
- **प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय** – जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा।
- **अन्य जानकारी** – लीज क्षेत्र में क्रशर नहीं लगाया जावेगा।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण श्री रोहित सिंघानिया, पार्टनर द्वारा किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान क्षेत्र की सीमा की परिधि से 500 मीटर के भीतर कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है। 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से इसे बी–2 श्रेणी की मानी गयी है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 152/5, 152/6, 156 एवं 158 कुल लीज क्षेत्र 2.812 हेक्टेयर, ग्राम–खैरा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में पत्थर उत्खनन क्षमता–37,998 टन/वर्ष हेतु **संलग्न–11** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

12. मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम– घुटकू, तहसील–तखतपुर, जिला – बिलासपुर (24)

- **आवेदन प्राप्ति दिनांक–** आवेदन दिनांक 28/09/2015 को प्राप्त हुआ।
- **प्रपोजल नम्बर–** एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/2515/2015
- **उद्योग का पता–** खसरा नं.– 3036/1, 3036/2, 3036/3, 3030, 3031, 3029/2, 3029/1, 3047, 3043/1, 3043/2, 3046, 3050, 3048/1, 3048/2, 3049, 3054, 3079/1, 3079/2, 3042/2, 3045, 3040, 3041, 3044 एवं 3039, ग्राम– घुटकू, तहसील–तखतपुर, जिला – बिलासपुर
- **भूमि का क्षेत्रफल–** कुल क्षेत्र–10 एकड़
- **उत्पाद / उत्पादन क्षमता–** कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष (वेट टाईप)
- **रॉ मटेरियल–** कोयला 9,60,000 टीपीए साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड की खदानों से (डीओ बेसिस पर) प्राप्त किया जावेगा। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से किया जावेगा। वॉशरी से वॉश्ड कोल निकट स्थित उद्योगों तक सड़क मार्ग से तथा लंबी दूरी पर स्थित उद्योगों तक रेल मार्ग द्वारा परिवहन किया जावेगा।
- **उद्योग का विनियोग**–रूपये 15 करोड़
- **10 कि.मी. क्षेत्र में अन्य जानकारी–** स्थापित औद्योगिक क्षेत्र से घुटकू रेलवे स्टेशन 1.1 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम शहर बिलासपुर 8.0 कि.मी. दूरी पर है। राष्ट्रीय राज्यमार्ग एनएच–200 लगभग 9.6 कि.मी. दूरी पर है। रामचंद रिजर्व फारेस्ट – 13.9 कि.मी. एवं रत्नापुर रिजर्व फारेस्ट – 13.5 कि.मी. दूरी पर है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी–** 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

- **जल उपयोग की मात्रा–** औद्योगिक प्रकिया – 490 घनमीटर /दिन एवं घरेलू 5.0 घनमीटर /दिन। जल की आपूर्ति भूमिगत जल द्वारा की जावेगी, जिसकी अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से लिया जावेगा।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था–** औद्योगिक प्रकिया से दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसे उपचार उपरांत पुनः प्रकिया में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट लगाया जाना प्रस्तावित है।
- **ठोस अपशिष्ट** – 750 टन / दिन रिजेक्ट कोल को पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा।
- **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल कशर में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम विथ बैग फिल्टर लगाया जावेगा। अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर फाईन आटो माईजर नोजल्स व्यवस्था के माध्यम से जल छिड़काव किया जावेगा।
- **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था–** कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई (लगभग 3.5 एकड़) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण श्री प्रशांत कुमार जैन, डायरेक्टर, मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, जिला–बिलासपुर द्वारा किया गया। उद्योग के सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि स्वामित्व दस्तावेज / जानकारी के अनुसार केवल 2.5 एकड़ भूमि अधिपत्य में है। परियोजना के लिये प्रस्तावित संपूर्ण भूमि का अधिपत्य नहीं है। साथ ही इस क्षमता का वॉशरी की स्थापना हेतु प्रस्तावित 10 एकड़ भूमि कम प्रतीत होती है। समिति द्वारा विचार विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पर्याप्त क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व दस्तावेज / भूमि क्रय करने हेतु अनुबंध की प्रति के साथ पुनरिक्षित आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

13. सरपंच, ग्राम पंचायत करेली (छोटी), ग्राम– करेली (छोटी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (25)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र कमांक 5487/ख.नि.–2/रेत (ईसी)/न.क.38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रपोजल नं.** – एसआईए/सीजी/एमआईएन/31369/2015
- **खदान का नाम** – ग्राम पंचायत करेली (छोटी), ग्राम–करेली (छोटी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 410 का भाग, ग्राम–करेली (छोटी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर
- **नदी का नाम–** महानदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–**50,000 घनमीटर /वर्ष

- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान–** नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी ग्राम– सेलद्वीप 850 मीटर, शैक्षणिक संस्था 900 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–मेघा 3500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9000 मीटर की दूरी पर है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना औथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी–** 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अन्य 02 रेत खदान क्रमशः सेलद्वीप रकबा – 5.6 हेक्टेयर एवं नवीन जोरातराई रकबा – 7.05 हेक्टेयर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल–12.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत करेली (छोटी), का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 5.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 140 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 430 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 1,80,000 घनमीटर
  सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेष नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री विष्णु कुमार साहू, सरपंच एवं श्री ओम प्रकाश साहू, सचिव, ग्राम पंचायत करेली (छोटी) उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0

मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 410 का भाग, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर, ग्राम–करेली (छोटी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (छ.ग.) में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु **संलग्न–12** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

14. सरपंच, ग्राम पंचायत मउ, ग्राम–मउ, तहसील व जिला–बेमेतरा (26)

- **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 5487/ख.नि.–2/रेत (ईसी)/न. क्र.38/1996 नया रायपुर, दिनांक 06/10/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- **प्रपोजल नं.**– एसआईए/सीजी/एमआईएन/31395/2015
- **खदान का नाम** – ग्राम–मउ, तहसील व जिला–बेमेतरा
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 3229, ग्राम–मउ, तहसील व जिला–बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्र 22.14 हेक्टेयर
- **नदी का नाम** – शिवनाथ नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – 1,50,000 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान** – नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी 30 किलोमीटर बेमेतरा में स्थित है। निकटतम शैक्षणिक संस्था 500 मीटर ग्राम–मउ में स्थित है। राष्ट्रीय राज मार्ग एवं राज्य मार्ग 30 किलोमीटर की दूरी में स्थित है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर छत्तीसगढ़।
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी** – 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में

स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत मऊ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 5.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 3.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – 105 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – 115 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 6,64,200 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती लछनी सोनवानी, सरपंच एवं श्री हिम्मत राव, पंच ग्राम पंचायत मउ उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि 13 किलोमीटर एवं 05 किलोमीटर की दूरी में स्टॉप डेम बना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से खसरा नं. 3229, कुल लीज क्षेत्र 22.14 हेक्टेयर, ग्राम–मउ, तहसील व जिला–बेमेतरा (छ.ग.) के रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 1,50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–13** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

15. मेसर्स चंद्रहासनी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (बिलेट्स एण्ड टी.एम.टी. डिविजन) ग्राम–गेरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़ (2150)

- **आवेदन प्राप्ति दिनांक** – आवेदन दिनांक 20/08/2015 को प्राप्त हुआ है।
- **उद्योग का नाम** – मेसर्स चंद्रहासनी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (बिलेट एण्ड टी. एम.टी. डिविजन)
- **उद्योग का प्रकार** – सेकेण्ड्री मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज
- **उद्योग स्थल** – ग्राम–गेरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़
- **खसरा नं.** – प्लाट नं. 4/4 एवं 4/5
- **भूमि का क्षेत्रफल** – कुल क्षेत्र 8.45 एकड़
- **उद्योग की कुल लागत** – रूपये 4770.00 लाख है।

- **उद्योग की आवेदित उत्पादन क्षमता**– माईल्ड स्टील बिलेट उत्पादन क्षमता– 1,32000 टन/वर्ष एवं रि–रोलेड स्टील प्रोडक्ट (टी.एम.टी. बार)–1,18000 टन/वर्ष
- **जल उपयोग की मात्रा** – कुल जल की खपत 95 के.एल.डी. होगा, जिसमें से 90 के.एल.डी. औद्योगिक एवं 5 के.एल.डी. घरेलू उपयोग के लिये प्रस्तावित है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। औद्योगिक जल का उपयोग केवल कुलिंग हेतु किया जावेगा।
- **रॉ–मटेरियल की आवश्यकता एवं परिवहन की साधन**– स्पंज आयरन 138947 एमटीपीए, सी.आई./पिग आयरन हैवी स्क्रेप 19800 एमटीपीए, फेरो एलायज 1320 एमटीपीए, पेट कोक 3300 एमटीपीए, एवं हॉट मेटल 132000 एमटीपीए ट्रकों में भरकर सड़क के रास्ते परिवहन किया जायेगा।
- **10 कि.मी. परिधि की जानकारी** – केलो नदी 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, केलो डेम 6 कि.मी. एवं राष्ट्रीय मार्ग कमांक 01 लगभग 0.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- **समीपस्थ आबादी/अस्पताल/रेल्वे स्टेशन आदि** – निकटतम रेल्वे स्टेशन रायगढ़ 11 कि.मी., निकटतम शहर रायगढ़ 11 कि.मी. है। समीपस्थ राज्य उड़िसा लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- **संरक्षित वन क्षेत्र** – खारीडोंगरी पी.एफ– 1.9 कि.मी. (ई.), बरकछार आर. एफ–1.4 कि.मी.(ई.एन.ई.), उर्दना आर.एफ–3.7 कि.मी.(एस.डब्ल्यू.), लमीडरही पी.एफ–8.9 कि.मी.(एस.एस.ई.), लखा पी.एफ–1.1 कि.मी.(एस.) बताया गया है।
- **प्रस्तावित उद्योग अथवा पूर्व से संचालित उद्योग** – नया उद्योग
- **ठोस अपशिष्टों की अपवहन व्यवस्था** – ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न मिल स्केल /स्लेग – 6600 टन /वर्ष उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फैरो एलॉयस प्लांट को विक्रय किया जायेगा। स्लेग काउपयोग लो–लाईंग एरिया फिलिंग, सड़क निर्माण आदि में किया जावेगा।
- **प्रदुषण नियंत्रण के उपाय** – इन्डक्शन फर्नेस से उत्पन्न डस्ट के नियंत्रण के लिए बैग फिल्टर लगाया जायेगा। सभी ट्रान्सफर बिन्दुओं पर डस्ट कलेक्टर स्थापित किया जावेगा। रोड में पानी का छिड़काव आदि किया जाना प्रस्तावित है।
- **एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण** – प्रकरण पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 165वीं बैठक दिनांक 14/09/2015 में विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जावे। परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 01/10/2015 के द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रस्तुतीकरण के लिए श्री संजीव कुमार उपाध्याय, डायरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी–1 केटेगरी होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल

इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निर्धारित टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) लोक सुनवाई सहित जारी करने की अनुशंसा की गई।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

16. मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड (लीज–I), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (786)

- **आवेदन प्राप्ति दिनांक** – दिनांक 19/08/2013
- **खदान का नाम** – मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड (लीज–I), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग
- **खदान का प्रकार** – लाईम स्टोन माईन
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान** – पूर्व से संचालित
- **खदान स्थल** – कुल लीज 36.001 हेक्टेयर, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – चूना पत्थर उत्खनन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष
- **खदान का विनियोग** – रूपये 15.0 करोड़ (लीज–I एवं लीज–II)
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी / शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी दुर्ग–भिलाई 22 किलोमीटर में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–06 (मुम्बई से कोलकत्ता) 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन की दूरी 24 किलोमीटर दुर्ग में है। समीपस्थ नदियों में शिवनाथ नदी 3.2 किलोमीटर, आमनेर नदी 6.0 किलोमीटर एवं तांदुला नदी 4.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- **समीपस्थ खदान** – मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड (लीज–II) 0.9 किलोमीटर एवं मेसर्स नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड 1.8 किलोमीटर में स्थित है।
- **उत्खनन की विधि** – खदान में लाईम स्टोन के उत्खनन हेतु ओपन कॉस्ट मेकेनाइज्ड, ड्रीलिंग हेतु डीप होल ट्रैक टायर ड्रील मशीन एवं ब्लास्टिंग हेतु नोनल का उपयोग किया जावेगा।
- **पिट, बेंच एवं सीम की संख्या** – 01 पीट, 08 बेंच एवं 01 सीम
- **लीज क्षेत्र में उपलब्ध चूना पत्थर की मात्रा** – 29.82 मिलियन टन
- **ग्राउन्ड वाटर लेबल** – 254 मीटर
- **ग्राउन्ड लेबल** – 274 मीटर (एम.एस.एल)
- **अल्टीमेंट वर्किंग डेप्ट** – 194 मीटर
- **टॉप सॉइल की मोटाई** – 0.1 मीटर से 0.4 मीटर
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

- **जल उपयोग की मात्रा** – घरेलू 2.0 किलोलीटर/दिन एवं डस्ट सप्रेशन 6.0 किलोलीटर/दिन, ग्रीनरी डेव्हलपमेंट 2.0 किलोलीटर/दिन एवं वर्कशाप (ऑयल सेप्रेटर/सप्रेशन टैंक) 2.0 किलोलीटर/दिन। माईन वाटर का पुर्नउपयोग सिंचाई, ग्रीन बेल्ट, डस्ट सप्रेशन आदि के लिये किया जायेगा।
- **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था–** कुल क्षेत्रफल के 1.8 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जायेगा।
- परियोजना से परिवेशीय वायु गुणवत्ता में निम्नानुसार संभावित प्रभाव पड़ना बताया गया है:–

प्रदूषक	वर्तमान परिवेशीय वायु गुणवत्ता (माईक्रोग्रम / घनमीटर)	परियोजना से संभावित वृद्धि (माईक्रोग्रम /घनमीटर)	कुल (माईक्रोग्रम /घनमीटर)
पीएम$_{10}$	79	4.4	83.4

- **टीओआर जारी** – दिनांक 18/03/2014
- **लोक सुनवाई दिनांक एवं स्थल** – लोक सुनवाई दिनांक 13/03/2015 को माध्यमिक शाला के सामने खेल मैदान, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में आयोजित की गई।

जन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव / विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

1. स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत्।
2. उद्योग द्वारा वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में।
3. क्षेत्रीय सामुदायिक विकास के संबंध में।
4. औद्योगिक दुर्घटना नियंत्रण एवं ट्रको को व्यवस्थित खड़ा करने बाबत्।
5. उद्योग प्रभावित क्षेत्र में वृक्षारोपण कराए।
6. उद्योग द्वारा कुछ जगह में हैण्ड पम्प/बोर स्थापित करने के संबंध में।
7. उद्योग द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करने के संबंध में।
8. उद्योग द्वारा गली/सड़क का सीमेंटीकरण कराया जाये।
9. उद्योग द्वारा तालाब का गहरीकरण कराया जाये।
10. उद्योग द्वारा इलाज की व्यवस्था की जाये।

उद्योग द्वारा बताया गया है कि प्रभावित उद्योग के सापेक्ष प्रभावित ग्रामों के नवयुवकों / शिक्षित बेरोजगारों को संयंत्र में उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी अथवा रोजगार उपलब्ध कराते हुए स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। उद्योग द्वारा वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उद्योग द्वारा उच्च तकनीक के उपकरण लगाए जाएंगे जिसमें वायु, जल, ध्वनि का प्रदूषण नियंत्रित रह सके।

- **फाईनल ईआईए रिपोर्ट** – पत्र दिनांक 03/09/2015 के द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय** – ड्रिलिंग व्यवस्था, कन्ट्रोल ब्लास्टिंग प्रकिया का उपयोग किया जायेगा, वाहनों का उचित रख–रखाव, हाल रोड एवं लोडेड माल पर जल का छिड़काव, ओवर लोडेड माल का परिवहन नहीं किया जायेगा एवं पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना, दूषित जल का ट्रिटमेंट किया जायेगा।
- **एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण** – एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 111वीं बैठक तथा 126वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/09/2013 एवं दिनांक 15/01/2014 में प्रकरण पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 18/03/2014 के माध्यम से टीओआर जारी किया गया। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 165वीं बैठक दिनांक 14/09/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जावें। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 01/10/2015 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए डा. जे.के. मोइत्रा, डायरेक्टर, ई.एम.टी.आर.सी. कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली (कन्सलटेंट) एवं श्री एच.एस. राठौर, प्लांट जनरल मैनेजर, एसीसी लिमिटेड, जामूल जिला–दुर्ग उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/10/2009 के शर्तों के अनुपालन एवं अनुवीक्षण प्रतिवेदन (मॉनिटरिंग रिपोर्ट) क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम मध्य क्षेत्र भोपाल के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी उपाय के कियान्यवयन प्रगति पर होना बताया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं की गई है। विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

17. मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड (लीज–II), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (785)

- **आवेदन प्राप्ति दिनांक** – दिनांक 19/08/2013।
- **खदान का नाम** – मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड (लीज–II), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग
- **खदान का प्रकार** – लाईम स्टोन माईन
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान** – पूर्व से संचालित
- **खदान स्थल** – कुल लीज 37.85 हेक्टेयर, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग
- **खदान का विनियोग** – रूपये 15.0 करोड (लीज–I एवं लीज–II)
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी / शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ आबादी दुर्ग–भिलाई 22 किलोमीटर में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–06 (मुम्बई से कोलकत्ता) 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन की दूरी 24 किलोमीटर दुर्ग में है। समीपस्थ नदियों में शिवनाथ नदी 2.7

किलोमीटर, आमनेर नदी 6.0 किलोमीटर एवं तांदुला नदी 4.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

- **समीपस्थ खदान** – मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड (लीज–I) 0.9 किलोमीटर एवं मेसर्स नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड 0.9 किलोमीटर में स्थित है।
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – चूना पत्थर उत्खनन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष
- **उत्खनन की विधि** – खदान में लाईम स्टोन के उत्खनन हेतु ओपन कॉस्ट मेकेनाइज्ड, ड्रीलिंग हेतु डीप होल ट्रैक टायर ड्रील मशीन एवं ब्लास्टिंग हेतु नोनल का उपयोग किया जावेगा।
- **पिट, बेंच एवं सीम की संख्या** – 01 पीट, 11 से 12 बेंच एवं 01 सीम
- **लीज क्षेत्र में उपलब्ध चूना पत्थर की मात्रा** – 43.34 मिलियन टन
- **ग्राउन्ड वाटर लेबल** – 254 मीटर
- **ग्राउन्ड लेबल** – 281 मीटर (एम.एस.एल)
- **अल्टीमेंट वर्किंग डेप्ट** – 194 मीटर
- **टॉप सॉइल की मोटाई** – 0.1 मीटर से 0.3 मीटर
- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **जल उपयोग की मात्रा** – डस्ट सप्रेशन 6.0 किलोलीटर/दिन एवं ग्रीनरी डेव्हलपमेंट 2.0 किलोलीटर/दिन। माईन वाटर का पुर्नउपयोग सिंचाई, ग्रीन बेल्ट, डस्ट सप्रेशन आदि के लिये किया जायेगा।
- **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था**– कुल क्षेत्रफल के 3.1 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जायेगा।
- परियोजना से परिवेशीय वायु गुणवत्ता में निम्नानुसार संभावित प्रभाव पड़ना बताया गया है:–

प्रदूषक	वर्तमान परिवेशीय वायु गुणवत्ता (माईक्रोग्रम / घनमीटर)	परियोजना से संभावित वृद्धि (माईक्रोग्रम /घनमीटर)	कुल (माईक्रोग्रम /घनमीटर)
पीएम$_{10}$	79	4.4	83.4

- **टीओआर जारी** – दिनांक 18/03/2014
- **लोक सुनवाई दिनांक एवं स्थल** – लोक सुनवाई दिनांक 16/03/2015 को माध्यमिक शाला के सामने खेल मैदान, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में आयोजित की गई।

जन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव / विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

1. स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत्।
2. उद्योग द्वारा वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में।
3. क्षेत्रीय सामुदायिक विकास के संबंध में।
4. औद्योगिक दुर्घटना नियंत्रण एवं ट्रको को व्यवस्थित खड़ा करने बाबत्।
5. उद्योग प्रभावित क्षेत्र में वृक्षारोपण कराए।
6. उद्योग द्वारा कुछ जगह में हैण्ड पम्प/बोर स्थापित करने के संबंध में।
7. उद्योग द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करने के संबंध में।
8. उद्योग द्वारा गली/सड़क का सीमेंटीकरण कराया जाये।
9. उद्योग द्वारा तालाब का गहरीकरण कराया जाये।
10. उद्योग द्वारा इलाज की व्यवस्था की जाये।

उद्योग द्वारा बताया गया है कि प्रभावित उद्योग के सापेक्ष प्रभावित ग्रामों के नवयुवकों / शिक्षित बेरोजगारों को संयंत्र में उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी अथवा रोजगार उपलब्ध कराते हुए स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। उद्योग द्वारा वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उद्योग द्वारा उच्च तकनीक के उपकरण लगाए जाएंगे जिसमें वायु, जल, ध्वनि का प्रदूषण नियंत्रित रह सके।

- **फाईनल ईआईए रिपोर्ट** – पत्र दिनांक 03/09/2015 के द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- **प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय** – ड्रिलिंग व्यवस्था, कन्ट्रोल ब्लास्टिंग प्रकिया का उपयोग किया जायेगा, वाहनों का उचित रख–रखाव, हाल रोड एवं लोडेड माल पर जल का छिड़काव, ओवर लोडेड माल का परिवहन नहीं किया जायेगा एवं पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना, दूषित जल का ट्रिटमेंट किया जायेगा।
- **एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण** – एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 111वीं बैठक तथा 126वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/09/2013 एवं दिनांक 15/01/2014 में प्रकरण पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 18/03/2014 के माध्यम से टीओआर जारी किया गया। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 165वीं बैठक दिनांक 14/09/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जावें एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 01/10/2015 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए डा. जे.के. मोइत्रा, डायरेक्टर, ई.एम.टी.आर.सी. कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली (कन्सलटेंट) एवं श्री एच.एस.राठौर, प्लांट जनरल मैनेजर, एसीसी लिमिटेड, जामूल जिला–दुर्ग उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/10/2009 के शर्तों के अनुपालन एवं अनुवीक्षण प्रतिवेदन (मॉनिटरिंग रिपोर्ट) क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम मध्य क्षेत्र भोपाल के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त

प्रतिवेदन के अनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी उपाय के कियान्यवयन प्रगति पर होना बताया गया है। भारतीय खान ब्युरो, नागपुर द्वारा स्कीम ऑफ माईनिंग तथा प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान दिनांक 04/10/2013 को अनुमोदित की गई है, जिसमें वर्षवार उत्खनन निम्नानुसार होना बताया गया है:–

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
2013–14	0.5
2014–15	0.54
2015–16	8.4
2016–17	8.4
2017–18	8.4

विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से कुल लीज 37.85 हेक्टेयर, पथरिया लाईम स्टोन माईन ऑफ ए.सी.सी. लिमिटेड (लीज–II), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग को चूना पत्थर उत्खनन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से बढ़ाकर 0.84 मिलियन टन/वर्ष हेतु **संलग्न–14** में वर्णित शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

ऐजेन्डा आईटम नं.–3: गौण खनिज खदानों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पूर्व में समिति द्वारा विचार किये जाने के उपरांत वांछित जानकारी प्रस्तुत किये गये प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. **सरपंच ग्राम पंचायत सिगारपुर, ग्राम–मेढ़ा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (1772)**

- **आवेदन प्राप्ति दिनांक** – यह आवेदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र कमांक 5008/ख.नि.–2/न.क./2014 रायपुर, दिनांक 22/12/2014 के द्वारा दिनांक 23/12/2014 को प्राप्त हुआ है।
- **खदान का नाम** – ग्राम–मेढ़ा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव
- **खदान का प्रकार** – रेत खदान (गौण खनिज)
- **खदान स्थल** – खसरा नं. 395, ग्राम–मेढ़ा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 8.70 हेक्टेयर
- **नदी का नाम** – शिवनाथ नदी
- **खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता** – 50,000 घनमीटर/वर्ष
- **प्रस्तावित खदान अथवा पूर्व से संचालित खदान**– नई खदान
- **आवेदन अनुसार समीपस्थ आबादी /शैक्षणिक संस्था आदि** – समीपस्थ अबादी 2.0 किलोमीटर ग्राम–सिंगारपुर में स्थित है। शैक्षणिक संस्थान एवं धार्मिक स्थल 2.0 किलोमीटर ग्राम–सिंगारपुर एवं अस्पताल 3.0 किलोमीटर ग्राम–अर्जुनी में स्थित है।
- **माईनिंग प्लान अनुमोदनकर्ता अधिकारी** – श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर छत्तीसगढ़।
- **100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध

या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

- **10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होने संबंधी जानकारी**– 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- **क्लस्टर के संबंध में जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदान ग्राम–सोनेसरार, ग्राम पंचायत सोनेसरार, कुल रकबा 9.308 हेक्टेयर, आवेदित रेत खदान से लगभग 700 मीटर की दूरी में स्थित है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
- **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जानकारी** – ग्राम पंचायत सिंगारपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- **आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई** – 5.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई** – 2.0 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई** – औसत 90 मीटर
- **आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई** – औसत 180 मीटर
- **आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा** – 2,03,280 घनमीटर
- **सिल्टेशन स्टडी संबंधी जानकारी** – अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके।
- **अन्य संबंधित जानकारी** – आवेदित रेत खदान क्षेत्र की सीमा की परिधि से 500 मीटर के भीतर अन्य गौण खनिज खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है।
- **एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण** – एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के 46वीं बैठक दिनांक 06/05/2015 निर्णय के अनुसार पत्र दिनांक 15/05/2015 के तारतम्य में नये नियम के तहत आवेदन दिनांक 29/05/2015 को प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 157वीं बैठक दिनांक 09/07/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 27/07/2015 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 160वीं बैठक दिनांक 30/07/2015 में लिये गये निर्णय अनुसार कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव के हस्ताक्षर से जारी किये गये संशोधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु परियोजना

प्रस्तावक को दिनांक 07/09/2015 को निर्देशित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/10/2015 को जानकारी प्रस्तुत की गई।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 395, कुल लीज क्षेत्र 8.70 हेक्टेयर, ग्राम–मेढ़ा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) के रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु **संलग्न–15** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–डांडिया, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर (1412)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/04/2014 को खसरा नं. 538/1के, कुल लीज क्षेत्र 3.0 हेक्टेयर, ग्राम–डांडिया, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर में पत्थर (गिट्टी) (गौण खनिज) उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रारूप–1 एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 घनमीटर/वर्ष है। यह एक प्रस्तावित खदान है।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के 144वीं एवं 156वीं बैठक क्रमशः दिनांक 05/07/2014 एवं 22/05/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 156वीं बैठक दिनांक 22/05/2015 के तारतम्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/06/2015 को अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत की गई।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 157वीं बैठक दिनांक 09/07/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को यह सूचित किया जावे कि अनुमोदित उत्खनन योजना में कमियों को सुधार करते हुये छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उत्खनन योजना तैयार कर विधिवत अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2237 दिनांक 07/08/2015 के द्वारा सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी पत्र दिनांक 19/08/2015 के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 163वीं बैठक दिनांक 26/08/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सभी सुसंगत जानकारी /दस्तावेज तथा स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 10/09/2015 के द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 167वीं बैठक दिनांक 16/09/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुतीकरण श्री सत्यनारायण शर्मा, मैनेजर, मेसर्स तिरूपति बिल्डाकॉन प्राईवेट लिमिटेड जिला–बिलासपुर एवं आरक्यूपी डॉ. राकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि उत्खनन योजना को उपसंचालक (ख.प्रशा.) बिलासपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 579/खनि./सा.प./एम.पी.क्र–2/2015 बिलासपुर दिनांक 04/06/2015

के द्वारा मेसर्स तिरूपति बिल्डाकॉन प्राईवेट लिमिटेड (श्री पदम कुमार सिंघानिया) के नाम से अनुमोदित किया गया है। समीपस्थ आबादी ग्राम डांडिया 0.60 कि.मी. दूर तथा शैक्षणिक संस्थान एवं हास्पिटल लगभग 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मरवाही रेलवे स्टेशन 30 कि.मी. दूर है। खदान शासकीय भूमि में है। 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है। जल का स्त्रोत मुख्यतः कुआं एवं माईन वाटर है। जल स्त्रोत (कुएं) की गहराई 20 से 25 मीटर है। वर्षाकाल में जलस्तर में 03 मीटर की बढ़ोतरी होती है। इस स्थल पर पूर्व में उत्खनन हेतु अस्थायी अनुज्ञा जारी किया गया था। फलस्वरूप कुल 10,784 वर्गमीटर भूमि में उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 6.0 मीटर है। माईनेबल रिजर्व 1,89,839 घनमीटर एवं जियोलॉजिकल रिजर्व 4,50,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3.0 मीटर तथा चौड़ाई 3.0 मीटर बताई गई है। खदान की अधिकतम गहराई 15.0 मीटर बताई गई है। पत्थर (गिट्टी) उत्खनन हेतु ब्लास्टिंग किया जावेगा। पत्थर का उपयोग मुख्यतः शासकीय सड़क निर्माण में किया जायेगा। ग्राम पंचायत करहनी एवं वनमण्डलाधिकारी मरवाही, वनमण्डल पेण्ड्रारोड (छ.ग.) बिलासपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर के पत्र दिनांक 25/08/2015 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई भी स्वीकृत / संचालित खदान नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय यह भी नोट किया गया कि उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन फार्म–1 में उत्खनन क्षमता–12,000 घनमीटर/वर्ष बताया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान उत्खनन क्षमता– 47,880 घनमीटर/वर्ष बताया गया तथा साथ ही अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन क्षमता–47,880 घनमीटर/वर्ष बताया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान फार्म–1, प्री–फीजिबिलिटी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज में सुधार कर माईनिंग विभाग द्वारा जारी लेटर ऑफ इंडेन्ट (एलओआई) सहित दस्तावेज / जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु समय देने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि संशोधित फार्म–1, प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई का टेक्नीकल जस्टिफिकेशन, माईनिंग विभाग द्वारा जारी लेटर ऑफ इंडेन्ट (एलओआई) एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेख अनुसार खनिज के उत्खनन हेतु आवेदन परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने पर प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 167वीं बैठक दिनांक 16/09/2015 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/09/2015 को वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान क्षेत्र की सीमा की परिधि से 500 मीटर के भीतर कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है। 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से इसे बी–2 श्रेणी की मानी गयी। चुंकि माईनेबल रिजर्व 1,89,839 घनमीटर है तथा खदान की आयु 05 वर्ष बताई गई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष औसतन 37,000 घनमीटर उत्खनन किया जा सकता है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 538/1के, कुल लीज क्षेत्र 3.0 हेक्टेयर, ग्राम–डांडिया, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर में पत्थर (गिट्टी) उत्खनन क्षमता–37,000 मीट्रिक

टन/ वर्ष हेतु **संलग्न–16** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स तिरूपति बिल्डाकॉन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मानिकपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (1869)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/03/2015 को खसरा नं. 85 एवं पीएचएन–06, कुल लीज क्षेत्र 1.360 हेक्टेयर, ग्राम–मानिकपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर में पत्थर (गिट्टी) (गौण खनिज) उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रारूप–1 एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 घनमीटर/वर्ष है। यह एक प्रस्तावित खदान है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 46वीं बैठक दिनांक 06/05/2015 को लिये गये निर्णय के अनुसार पत्र दिनांक 02/05/2015 के तारतम्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/06/2015 को अनुमोदित उत्खनन योजना के साथ आवेदन प्रेषित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 157वीं बैठक दिनांक 09/07/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को यह सूचित किया जावे कि अनुमोदित उत्खनन योजना में कमियों को सुधार करते हुये छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उत्खनन योजना तैयार कर विधिवत अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2243 दिनांक 07/08/2015 को सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी पत्र दिनांक 19/08/2015 एवं 20/08/2015 के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 163वीं बैठक दिनांक 26/08/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सभी सुसंगत जानकारी /दस्तावेज तथा स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 10/09/2015 के द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 167वीं बैठक दिनांक 16/09/2015 में प्रकरण पर चर्चा किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुतीकरण श्री सत्यनारायण शर्मा, मैनेजर, मेसर्स तिरूपति बिल्डाकॉन प्राईवेट लिमिटेड जिला–बिलासपुर एवं आरक्यूपी डॉ. राकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि उत्खनन योजना को उपसंचालक (ख.प्रशा.) बिलासपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 578/खनि./सा.प./एम.पी.क्र–2/2015 बिलासपुर दिनांक 04/06/2015 के द्वारा मेसर्स तिरूपति बिल्डाकॉन प्राईवेट लिमिटेड (श्री पदम कुमार सिंघानिया) के नाम से अनुमोदित किया गया है। समीपस्थ आबादी ग्राम मानिकपुर 1.0 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय मार्ग एवं राज्यमार्ग 1.7 कि.मी. दूर बताया गया है एवं अस्पताल 5.0 कि.मी. दूर बताया गया है। 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है। जल का स्त्रोत मुख्यतः कुआं एवं माईन वाटर है। जल स्त्रोत (कुएं) की गहराई 20 से 25 मीटर है। वर्षाकाल में जलस्तर में 03 मीटर की बढ़ोतरी होती है। माईनेबल रिजर्व 1,20,050 घनमीटर एवं जियोलॉजिकल

रिजर्व 2,04,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3.0 मीटर तथा चौड़ाई 3.0 मीटर बताई गई है। खदान की अधिकतम गहराई 15.0 मीटर बताई गई है। पत्थर (गिट्टी) उत्खनन हेतु ब्लास्टिंग किया जावेगा। पत्थर का उपयोग मुख्यतः शासकीय सड़क निर्माण में किया जायेगा। ग्राम पंचायत चुरेली जनपद पंचायत कोटा एवं वनमण्डलाधिकारी मरवाही, वनमण्डल पेण्ड्रारोड (छ.ग.) बिलासपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) बिलासपुर के पत्र दिनांक 17/03/2015 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई भी स्वीकृत / संचालित खदान नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय यह भी नोट किया गया कि प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदन में उल्लेखित तथ्यों तथा प्रस्तुतीकरण में बताये गये तथ्यों में भिन्नता है। फलस्वरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान फार्म–1, प्री–फीजिबिलिटी रिपोर्ट, एवं अन्य दस्तावेज में सुधार कर माईनिंग विभाग द्वारा जारी लेटर ऑफ इंडेन्ट (एलओआई) सहित दस्तावेज / जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु समय देने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि संशोधित फार्म–1, प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई का टेक्नीकल जस्टिफिकेशन, माईनिंग विभाग द्वारा जारी लेटर ऑफ इंडेन्ट (एलओआई) एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेख अनुसार खनिज के उत्खनन हेतु आवेदन परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने पर प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 167वीं बैठक दिनांक 16/09/2015 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/09/2015 को वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 169वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित उत्खनन योजना 03 वर्ष की अवधि हेतु अनुमोदित की गई है। विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्ताकव द्वारा खनिज साधन विभाग से गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों में खदान की न्युनतम लीज अवधि बाबत् जानकारी लेकर समिति को उपलब्ध करावें। तद्नुसार प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ

(रेजीना टोप्पो)
सचिव,
राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,
छत्तीसगढ

सरपंच, ग्राम पंचायत बालेंगा
को खसरा नं. 01 एवं 291, कुल लीज क्षेत्र 6.81 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत बालेंगा, ग्राम–बालेंगा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर, (छ.ग.) में मारकंडे नदी से रेत उत्खनन क्षमता–68,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 6.81 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 68,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1362 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

संलग्नक–02

सरपंच, ग्राम पंचायत जजगा

को खसरा नं. 1456, (जजगा –1 रेत खदान) ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (छ.ग.) में रेहर नदी से रेत उत्खनन क्षमता–50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत दुबेउमरगांव
को खसरा नं. 94 का भाग, कुल लीज क्षेत्र 6.45 हेक्टेयर, ग्राम–दुबेउमरगांव, तहसील व जिला–बस्तर, (छ.ग.) में बोरीया नदी से रेत उत्खनन क्षमता–64,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 6.45 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 64,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1290 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट **www.envfor.nic.in** एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल अंबिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

संलग्नक–04

सरपंच, ग्राम पंचायत मेण्ड्राकला
को खसरा नं. 640, ग्राम– मेण्ड्राकला, तहसील–अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा कुल लीज क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर (छ.ग.) में घुनघुट नदी से रेत उत्खनन क्षमता–64,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 6.4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 64,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1280 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सरपंच, ग्राम पंचायत जजगा
को खसरा नं. 927, कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर, (जजगा – 2 रेत खदान) ग्राम–जजगा, तहसील–उदयपुर, जिला – सरगुजा (छ.ग.) में रेहर नदी से रेत उत्खनन क्षमता–50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 3 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

नगर पंचायत छुरीकला
को खसरा नं. 220 एवं 221 कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर, ग्राम–छूरीकला, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में अहीरन नदी से रेत उत्खनन क्षमता–50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 01 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सचिव, ग्राम पंचायत दुल्लापुर को खसरा नं. 01 कुल लीज क्षेत्र 5.665 हेक्टेयर, ग्राम–दुल्लापुर, तहसील–कटघोरा, जिला – कोरबा (छ.ग.) में हसदेव नदी से रेत उत्खनन क्षमता–84,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.665 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 84,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1133 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला– व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सचिव, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा को खसरा नं. 48 कुल लीज क्षेत्र 6.00 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा, ग्राम–भैसामुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) में हसदेव नदी से रेत उत्खनन क्षमता–90,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 90,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1200 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला – व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

CONDITIONS OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR BUILDING CONSTRUCTION POJECT IN KHASRA NO. 146/1-3, 147/1-6, 148/1-3 ETC. , PLOT AREA 72720 SQM, TOTAL BUILT-UP AREA 59,028.55 SQM BY M/S ASHWARIYA EMPAIRE (SANKALP HOME), VILLAGE -LABHANDI, TEHISL AND DISTRICT – RAIPUR

PART A – SPECIFIC CONDITIONS

I. Construction Phase

Facility of Labourers during Construction: -

i) Construction camp and temporary labour sheds shall be located away from the construction site. Construction camps shall be provided for construction personnel to avoid indiscriminate settlement of construction workers and labourers.

ii) Provision of drinking water, wastewater disposal, solid wastes management and primary health facilities shall be ensured for labour camps. Proper sanitation facilities shall be provided at the construction site to prevent health related problem. Domestic as well as sanitary wastes from construction camps shall be cleared regularly. Provision shall be made for mobile toilets. The safe disposal of wastewater and solid wastes generated during construction phase shall be ensured.

iii) Water usage during construction shall be optimized to avoid any wastage.

iv) Adequate safely measures shall be adopted to the construction workers.

v) All the labourers to be engaged for construction works shall be screened for health and adequately treated before issue of work permits. The contractor shall ensure periodic health check-up of construction workers. A first Aid room shall be provided in the project both during construction and operation of the project.

vi) Provision shall be made for the supply of kerosene or cooking gas /pressure cooker to the labourers during construction phase.

Environmental Management During Construction: -

i) As far as practicable, re-use of debris of demolished existing buildings/houses/structures at existing site is recommended with a special care for handling and disposal of asbestos waste, if any. Rest of waste is to be disposed at the sanitary landfill disposal site.

ii) Appropriate measure like adequate drainage, embankment consolidation and slope stabilization shall be taken along the roads to avoid soil erosion. Top soils (20 cm) of the borrow pit sites shall be conserved and restored after completion of excavation. All the topsoil excavated during construction activities shall be stored for use in horticulture/landscape development within the project site. Proper erosion control and sediment control measures shall be adopted.

iii) Earth material generated from excavation shall be reuse to the maximum possible extent as filling material during site development. The construction debris and surplus excavated material shall be disposed off by mechanical transport in suitable pre-identified dumping areas to avoid land degradation and water logging due to indiscriminate dumping. Dumping areas shall be biologically reclaimed through topsoil cover and plantation.

iv) A soil erosion and sedimentation control plan shall be prepared prior to construction. The soil erosion, sediment control and storm water practices shall be incorporated depending upon the site characteristics to control soil erosion and loss of topsoil during construction.

v) Disposal of muck including excavated material during construction phase shall not create any adverse effects on the neighboring communities and disposed off taking the necessary precautions for general safety and health aspects.

vi) Low sulphur diesel type diesel generator sets should be used during construction phase. Diesel generator sets during construction phase shall have acoustic enclosures and shall conform to Environment (Protection) Rules, 1986 prescribed for air and noise emission standards. No diesel generator sets shall be used during operation phase.

vii) All Vehicles/equipments deployed during construction phase shall be ensure in good working condition and shall conform to applicable air and noise emission standards. These shall be operated only during non-peaking hours.

viii) Ambient noise levels shall conform to residential standards both during day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Equivalent noise levels shall be ensured during construction phase and closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be provided to maintain ambient air quality and noise levels during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/CECB. Fortnightly monitoring of ambient air quality (RPM, SO_2 and NOx) shall be done.

ix) The protective equipments such as earplugs etc. shall be provided to construction personnel exposed to high noise levels. Stationary construction equipments generating noise shall be placed away from inhabited areas and silence zones. Construction activities carried out near residential area shall be scheduled to daytime only. Only limited necessary construction shall be done during night time. No unloading of construction materials shall be done at night. Vehicular noise and use of horns shall be controlled through enforcement of laws and public awareness. Use of pressure horns shall be strictly prohibited. To reduce noise level, the roads shall be designed to have more rows of plantation.

x) Construction spoils, including bituminous material and other hazardous materials including oil from construction equipments must not be allowed to contaminate watercourses and the dumpsites for such material must be secured so that they shall not leach into the ground water. If necessary, oil trap shall be installed where heavy machineries are deployed.

xi) Proper and prior planning, sequencing and scheduling of all major construction activities shall be done. Construction material shall be stored in covered godowns / sheds. Truck carrying soil, sand and other construction materials shall be duly covered to prevent spillage and dust emission. Adequate dust suppression measures shall be undertaken to control fugitive dust emission. Regular water sprinkling for dust suppression shall be ensured.

xii) Use of Ready-Mix concrete is recommended for this project. Water demand during construction shall be reduced by use of pre-mix concrete, curing agents and other best practices.

xiii) Accumulation/stagnation of water shall avoid ensuring vector control.

xiv) Regular supervision of the above and other measures shall be in place all through the construction phase so as to avoid disturbance to the surroundings.

Selection of Materials for Better Energy Efficiency: -

i) Use of fly ash based bricks/blocks/tiles/products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of Ministry of Environment and Forests, Government of India latest Notification regarding use of Fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash/pond ash shall be used for low- lying areas filling (if available). In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India/ Central Pollution Control Board/ Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.

ii) Construction shall conform to the requirements of local seismic regulations. The project proponent shall obtain permission for the plans and designs including structural design, standard, safety, adequacy of firefighting equipments, protection measures for lightning and specifications of all construction works from concerned authority.

iii) Reduce the use of glazed surface as per National Building Code 2005. Use of glass in various buildings may be reduced up to 40% to reduce the electricity consumption and load on air-conditioning. If necessary, use of high quality double glass with special reflective coating in windows. Roof of the various buildings shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code by using appropriate thermal insulation material to fulfill requirement. Opaque wall shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code which is proposed to be mandatory for all air conditioned spaces while it is inspirational for non-air-conditioned spaces by use of appropriate thermal insulation material to fulfill requirement.

iv) Use of energy efficient construction materials to achieve the desired thermal comfort shall be incorporated. The desired level of roof assembling 'U' factor and insulation 'R' value must be achieved. Roof assembling 'U' factor for the top roof shall not exceed 0.4 Watt/sq.m/degree centigrade with appropriate modifications of specifications and building technologies. The provisions of National Building Code 2005 shall be strictly followed.

v) Modern electrical power transmission & distribution system shall be installed.
vi) Street lighting shall be energy efficient. Solar operated Light Emiting Diode (LED) shall be provided in street lighting and common facilities. LED lights and solar water heating systems shall be provided in the buildings. All street lights will be energized by solar power system.
vii) Extensive network of cellular phones and landlines shall be provided. The telephone and electric cables shall be laid in the same corridor. Adequate vertical and horizontal separation between telephone and electric cable shall be maintained.
viii) Reduce hard paving-onsite (open area surrounding building premises) and/or provide shade on hard paved surfaces to minimize heat island effect and imperviousness of the site.
ix) All air-conditioned buildings (if any) shall follow the norms proposed in the ECBC regulations framed by the Bureau of Energy Efficiency. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.
x) Power requirement shall be met through Chhattisgarh State Electricity Distribution Company Limited. Power backup shall be D.G. Sets, which should be acoustically proof and ecofriendly.
xi) The buildings shall have adequate distance among them to allow movement of fresh air and passage of natural light, air and ventilation.
xii) During maintenance, energy efficient electric light fittings & lamps – low power ballasts, low consumption high power luminaries, lux level limiters & timers for street lighting shall be provided. Used LEDs shall be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury or other contamination. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy Efficiency shall be prepared incorporating details about building materials & technology, 'R' value & 'U' factors etc.

Water Body Conservation: -

i) Improvement or rehabilitation of existing natural streams, channels / nallas falling within premises (if any) shall be carried out without disturbing the ecological habitat.
ii) No untreated/treated wastewater shall be discharge in the any water bodies under any circumstances.
iii) All the construction and preparatory activities shall be carried out during dry seasons only.

Water Supply: -

i. Project proponent shall provide adequate measuring arrangement at the inlet point of water uptake and at the discharge point for the measurement of water utilized in different categories to monitor the daily water consumption. Measuring arrangement for effluent generated shall also be provided.
ii. Water saving practices such as usage of water saving devices / fixtures, low flow flushing systems, sensor based fixtures, auto control walls, pressure reducing devices etc. shall be adopted.

Greening Programme: -

i) Lay out of proposed buildings and roads etc. shall be made in such a way that it shall cause minimum disturbance to existing flora and fauna. Appropriate green belt shall be developed to compensate the habitat loss of trees for site clearing. The project proponent must obtain permission for tree cutting from competent authority as per prevailing Act/Rules. Plantation along the side of the roads and in the open spaces shall be developed to act as sinks of air pollutants. Adequate plantation programme along the roads and open spaces shall be planned. The plantation programme shall be drawn to confirm the natural climate conditions. The plantations shall consist of mixture of available indigenous, fast growing and sturdy species of trees, shrubs and herbs, as proposed by the project proponent. Plantation shall be done in open spaces available within the premises. Trees of species like Sagon, Khamar etc. wihich remain leafless for long time shall be avoided.
ii) Green belt shall be developed on land adjoining to nearby Chhokara nalla having 09 meter width.

Sewage Management: -

i) Three numbers of Sewage Treatment Plants with total installed capacity of 400 kilo litre per day (02 of 100 KLD and 01 of 200 KLD) based on anaerobic bio reactor shall be installed. Sewage collection system of adequate capacity to convey the sewage during peak hours shall be laid to collect and convey the sewage from various buildings. The augmentation of Sewage Collection System, Sewage- Pumping Station (if any) and Sewage Treatment Plant shall be ensured before the completion of the buildings.

Rain Water Harvesting Scheme: -

i) Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also

be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease.

ii) Net imperviousness of the site shall not exceed the imperviousness factor as prescribed by the National Building Code of India, Bureau of Indian Standards, 2005.

Transport Management: -

i) Appropriate access shall be provided for physically challenged people in the pedestrian paths.

ii) Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the project site must be avoided. The design of service roads and the entry and exit from the building shall conform to the norms & standards prescribed by the National Highways Authority of India / State Public Works Department.

iii) Permeable (porous) paving in the parking areas, and walkways & patio areas shall be used to control surface water runoff by allowing storm water to infiltrate the soil and return to ground water.

iv) The road drainage shall be designed to enable quick runoff of surface water and prevent water logging. The road level shall be kept at least 0.5 to 1.0 meter above the observed high flood level. The guidelines on Urban Drainage, IRC: SP-50 shall be followed. On the both sides of all roads, well –lit and smooth surfaced footpaths shall be provided. The hoardings shall be strictly prohibited along the roads.

v) Adequate provision shall be made to cater the parking needs. Parking shall be fully internalized and no public space shall be utilized. Parking spaces standards as given in 'Manual on Norms and Standards for Environmental Clearance of Large Construction Projects' issued by Ministry of Environment, Forests and Climage Change, Government of India shall be adapted.

Others: -

i) All mandatory approvals and permissions as required shall be obtained.
ii) Unskilled construction labourers shall be recruited from the local areas. Construction materials shall be procured locally as far as possible.
iii) Water heating system provided in the residencials units and common buildings (if any) shall be 100% solar based only.
iv) Provision of composting for the biodegradable solid wastes as well as the large amount of biomass that shall be available from the tree plantation shall be made.
v) The ground water shall not be abstracted without prior permission from the competent authority in the project area.
vi) Adequate roadside drains shall be provided along the road to facilitate its better maintenance and increase in the life of the carriageway, which shall avoid soil erosion and land degradation due to water stagnation. The roadside drains shall be provided on both sides of the road. Longitudinal and cross drainage system shall be regularly maintained. Adequate new drainage works and cross drainage structures shall be provided for smooth passage of runoff. Filling of existing natural drainage courses shall be strictly avoided. Suitable drainage at construction site and camp shall be provided to eliminate the formation of stagnant water pools.
vii) Regular supervision of the above and other measures for monitoring shall be in place all through the construction phase, so as to avoid disturbance to the surroundings.

I. Operation Phase

Sewage Treatment Plant: -

i) Project proponent shall operate and maintain the sewage collection / conveyance system, sewage pumping system and sewage treatment system regularly to ensure the treated effluent quality within the standards prescribed by Ministry of Environment, Forests and Climage Change, Government of India or prescribed by Chhattisgarh Environment Conservation Board (which ever stringent). All the effluent treatment system shall be kept in good running conditions all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, same alternate arrangement shall be made for storage of untreated sewage until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

ii) Properly treated sewage shall be utilized in flushing the toilets / gardening purpose / make up water in air conditioning systems etc. No treated/untreated effluent shall be discharged out side the premises under any circumstances. Zero discharge condition shall be maintained all the time. Necessary measures shall be made to mitigate the odour problems from Sewage Treatment Plant (STP).

Municipal Solid Waste/ Other Wastes: -

i) Two-chambered container (one for recyclable wastes and other for all organic and compostable wastes) shall be placed at appropriate distance on the roadside and inside the building. Covered dustbins / garbage collector in convenient places to collect the municipal solid wastes shall be provided.

ii) The proponent must develop the Solid Wastes Segregation, Collection, Handling, Transportation and Disposal Scheme ensuring safe and scientific segregation, collection, handling, transportation and disposal of organic and inorganic portion. The organic waste is to be composted / Vermi composted at the compost plant. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose. Dry solid waste and recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminum cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be ensured. All municipal solid wastes shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 (As amended).

iii) Public awareness programmes of benefit of living a clean and healthy life by proper management of solid wastes shall be organized regularly.

iv) All hazardous wastes (if any) shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Hazardous Materials (Management Handling and Tran boundary Movement) Rules, 2008.

v) The use of hand gloves, shoes and safety dress for all waste collectors and sorters shall be enforced.

vi) Recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminium cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be encouraged through private participation.

vii) Necessary measures shall be made to mitigate the odour problems from solid wastes processing plant.

Others: -

i) Noise shall be controlled to ensure that it does not exceed the prescribed standards. During nighttime the noise level measured at the boundary of the building shall be restricted to the permissible levels to comply with the prevalent regulations.

ii) Weep holes in the compound walls shall be provided to ensure natural drainage of rainwater in the catchments area during the monsoon period.

iii) The ground water level and its quality shall be monitored regularly in consultation with Central Ground Water Authority.

PART B – GENERAL CONDITIONS

i) After approval of the competent authority appropriate fire fighting system shall be adapted.

ii) The environmental safeguards and mitigation measures contained in the application shall be implemented in letter and spirit.

iii) All the conditions, liabilities and legal provisions contained in the Environmental Clearance shall be equally applicable to the successor management of the project in the event of the project proponent transferring the ownership, maintenance of management of the project to any other entity.

iv) The project proponent shall make financial provision in the total budget of the project for implementation of the above-mentioned conditions and for suggested environmental safeguard measures. The funds earmarked for the environmental protection measures shall not be diverted for other purposes.

v) Six monthly monitoring reports shall be submitted to the SEIAA, Chhattisgarh; Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climage Change, Government of India, Bhopal and Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, who shall be monitoring the implementation of environmental safeguards, shall be given full cooperation, facilities and documents / data by the project proponents during their inspection. A complete set of all the documents shall submit to State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh.

vi) The responsibility of implementation of environmental safeguards rests fully on the project proponent. Project proponent shall establish an environmental management cell to carryout functions relating to environmental management under the supervision of senior executive, directly reporting to the head of organization.

vii) In the case of any change(s) in the scope of the project, the project shall require a fresh appraisal by the SEIAA.

viii) The issuance of this letter does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does it authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.

ix) All other statutory clearances from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponent. Project proponent shall obtain statutory clearances / licenses/ permissions from concerned Central Government/State Government Departments, Boards, Bodies and Corporations etc. Project proponent shall follow direction issued by Central Government/ State Government, Central Pollution Control Board/Chhattisgarh Environment Conservation Board from time to time regarding control of water & air pollution and for environmental conservation.

x) The State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh reserves the right to amend the above conditions and add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time-bound and satisfactory manner.

xi) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India at www.envfor.nic.in and website of SEIAA, Chhattisgarh at www.seiaacg.org.

xii) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad / Municipal Corporation, urban local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.

xiii) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ग्राम पंचायत सिपकोना
को खसरा नं. 737, कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर, ग्राम– सिपकोना, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में खारून नदी से रेत उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए.,छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण्, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (खैरा स्टोन क्वारी) को पत्थर उत्खनन क्षमता–37,998 टन/वर्ष, खसरा नं. 152/5, 152/6, 156 एवं 158 कुल लीज क्षेत्र 2.812 हेक्टेयर, ग्राम–खैरा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) हेतु पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.812 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 37,998 टन/वर्ष से अधिक नहीं होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे।
4. औद्योगिक प्रकिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रकिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे।
5. गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रकिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
7. उत्खनन प्रकिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रकिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।
8. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिकी अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।

9. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्न भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।

11. गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढँके हुये वाहन से किया जावे, ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावे। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावे।

13. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 562 पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।**

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिये। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।

15. उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।

16. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

18. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

19. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।

20. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

21. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

22. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

23. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

25. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय

कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

28. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

29. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

30. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

31. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सरपंच, ग्राम पंचायत करेली (छोटी) को खसरा नं. 410 का भाग, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर, ग्राम–करेली (छोटी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1200 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला – व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

संलग्नक–13

ग्राम पंचायत मउ

को खसरा नं. 3229, कुल लीज क्षेत्र 22.14 हेक्टेयर, ग्राम–मउ, तहसील व जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में शिवनाथ नदी से रेत उत्खनन क्षमता–1,50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 22.14 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 1,50,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 4430 पौधों का रोपण** नदी तट पर **किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट **www.envfor.nic.in** एवं एस.ई.आई.ए.ए.,छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR M/S ACC CEMENT, PATHARIYA LIME STONE MINE (LEASE-II) AT LEASE AREA – 37.85 HEC, VILLAGE –PATHARIYA, TEHSIL-DHAMDHA , DISTRICT – DURG (C.G.) FOR EXPANSION OF LIME STONE MINE 0.6 MILLION TONNE PER YEAR TO 0.84 MILLION TONNE PER YEAR

A. Specific Conditions

Lease Area:-

i. The lease area of the mine shall not exceed 37.85 hec and mining of lime stone shall not exceed 0.84 million tonne per year after expansion.

ii. No two pits shall be simultaneously worked i.e. before the first pit is exhausted and reclamation work completed, no mineral bearing area shall be worked.

iii. After exhausting the first mine pit and before starting mining operations in the next pit, reclamation and plantation works in the exhausted pit shall be completed so as to ensure that reclamation, forest cover and vegetation are visible during the first year of mining operations in the next pit. This process shall follow till the last pit is exhausted. Adequate rehabilitation of mined pit shall be completed before any ore bearing area is worked.

iv. Adequate buffer zone shall be maintained between two consecutive mineral bearing deposits.

Air Pollution Control Measures:-

i. Fugitive dust generation shall be controlled. Fugitive dust emission shall be relatively monitored at locations of nearest human habitation (including schools and other public amenities located nearest to sources of dust generation as applicable) and Periodic reports shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal.

ii. Project authority shall ensure outlet dust (particulate matter) emission less than 50 mg/Nm^3. Project authority shall conform to the standards prescribed in schedule – I of Environment (Protection) Rules, 1986 (as amended) by Ministry of Environment and Forests, Government of India. The Chhattisgarh Environment Conservation Board may specify more stringent standards for the relevant parameters keeping in view the nature of the industry and its size and location. At no time the emission level shall go beyond the prescribed standards.

iii. Shelter belt i.e. wind break of 30 m width and consisting of at least 5 tiers around lease facing the school / habitation / agriculture fields (if any in the vicinity) shall be raised.

iv. Maintenance of village roads through which transportation of ores are undertaken shall be carried out by the project authority regularly at its own expenses. The roads shall be black topped.

v. Transportation of lime stone shall be done by covering the trucks with tarpaulin or other suitable mechanism so that no spillage of lime stone / dust takes place.

vi. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of ores and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicles Rules, 1989 and its amendments. Transportation of ore shall be done only during day time. The vehicles transporting ores shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation. No overloading of lime stone for transportation shall be committed. Prior permission from the competent authority shall be obtained for extraction of ground water, if any.

Water Pollution Control Measures:-

i. It shall be ensured that no silt originating due to mining activity is transported to the surface water course running in and around the lease area.

ii. Garland drain of appropriate size, gradient and length shall be constructed for both mine pit and for waste dump and sump capacity shall be designed keeping 50 % safety margin over and above peek sudden rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the area adjoining the mine site. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains and de-silted at regular intervals. Trenches / garlands drains shall be constructed at foot of dumps installed at regular intervals to arrest silt from being carried out top water bodies. Adequate number of check dams and gully plugs shall be constructed across seasonal / perennial nallahs (if any) flowing through the ML area and silts arrested. De-silting at regular intervals shall be carried out.

iii. The waste water from the mine shall be treated to conform to the prescribe standards before discharging in to the natural stream. The discharged water from the tailing dam (if any) shall be regularly monitored and report submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal, Central Pollution Control Board.

Green Belt Development:-

i. A 50 m barrier of no mining zone all along the side(s) facing the nallah (if any) passing through the lease area or passing adjacent to the lease shall be demarcated and thick vegetation of native species raised in the said barrier. Status of implementation shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal half yearly basis.

ii. Adequate plantation shall be raised in the mining lease area, haul roads, OB dump sites etc. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO / Agricultural Departments. Herbs and shrubs shall also form a part of afforestation programme besides tree plantation. A wide green belt of broad leaf local species shall be developed in at least 33% of the project area. The density of the trees shall not be less then 2500 plants per ha. The project authority shall involve local people with the help of self help group for plantation programme. Industry shall develop green belt along the mine boundary with minimum width of 7.5 meter within one year. Local plant species should be selected in priority.

R & R Plan and CSR Activity:-

i. Need based assessment of the near by villages shall be conducted to study economic measures which can help in up-liftment of poor section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchids, vocational training etc. can form a part of such programme. Project authority shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes. This shall be addition to vocational training for individuals imparted to take up self employment and jobs.

ii. Project authority shall adopt two villages for community development works in order to improve the amenities as a part of commitment towards social and economic upliftment of the area. As per demand of public, the proposal for providing cement on the concession rates to the local people will be implemented shortly. Cement will be provided to near by villagers though Cooperative Society.

iii. Land use pattern of the near-by villages shall be studied and action plan for abatement and compensation for damage to agricultural land/ common property land (if any) in the nearby villages, due to mining activity shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal within six months. Annual status of implementation of the plan and expenditure thereon shall be reported to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA,

Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal from time to time.

Top Soil, Over burden and Solid Wastes Management Control:-

i. Measures of prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion shall be carried out with geo textile mating or other suitable material, and thick plantations of native trees and shrubs shall be carried out at the dump slopes. Dumps shall be protected by retaining walls.

ii. Top soil / solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling (where ever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out areas. Top soil shall be separately stacked for utilizing later for reclamation and shall not be stacked along with overburden.

iii. Over burden (OB) shall be stacked at earmarked dump site(s) only and shall not be kept active for long period. The maximum height of the dump shall not exceed 30 m, each stage shall be of preferably 10 m and overall slope of the dump shall not exceed 28 deg. The OB dump shall be backfilled. The OB dumps shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off.

Health and Safety Measures:-

i. Adequate protection against dust and other environmental pollution arising due to mining activity shall be made so that human habitation located near the lease (as applicable) are not adversely affected. The status of implementation shall be reported to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal and work shall be completed before start of mining.

ii. Occupational health and safety measures of the workers including identification of work related health hazards, training on materials eradication, HIV, and health effects on exposure to mineral dust etc. shall be carried out. The Project authority shall engage a full time qualified doctor who is trained in occupational health. Periodic monitoring for exposure to repairable mineral dust on the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures undertaken (at intervals of five years or less) shall be conducted followed by follow up action where ever required.

Monitoring of Pollution and Resources:-

i. Ground water in the core zone shall be regularly monitored for contamination and depletion due to mining activity and records maintained. The monitoring data shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal regularly. Further, monitoring points shall be located between the mine and drainage in the direction of flow of ground water shall be up and records maintained.

ii. Monitoring of soil samples for assessment of contamination due to mining activity (as applicable) shall be regularly conducted and records maintained.

iii. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self-sustaining. Compliance status shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal on six monthly basis.

iv. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operation. The monitoring shall be carried out four times in a year- pre monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the data thus collected shall be regularly sent to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and

Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board.

v. Adequate air monitoring stations shall be installed in the areas of human habitations near the mine and the results of ambient air quality shall be maintained and regularly submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal.

vi. With the objective of participatory monitoring of environmental conditions imposed in environmental clearance, the project authority shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, workers, transporters and management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The procedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the procedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg for information.

Rainwater-Harvesting:-

i. Project authority shall adopt rainwater-harvesting technique in the project area for recharge of ground water. The rainwater-harvesting technique shall be incorporated right from the design stage of all structures. Project authority shall develop rainwater-harvesting structures to harvest the rainwater for utilization in the lean season as well as to recharge the ground water table. A detailed scheme for rainwater harvesting to recharge the ground water aquifer shall be prepared in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Board. A copy of the same shall be submitted within three months to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal. Project authority shall submit permission from Central Ground Water Board for withdrawal of ground water.

B. Other Conditions

i. No change in mining technology and scope of working shall be made without prior approval of SEIAA, Chhattisgarh.

ii. No change in calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste shall be made.

iii. Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads, loading and at regular points shall be provided and properly maintained.

iv. Adequate number of permanent ambient air quality monitoring stations (not less than four) in the core zone as well as buffer zone for PM2.5, PM10, NOx and SO2 shall be set-up in the down wind direction as well as where maximum ground level concentrations are anticipated in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring net-work shall be designed taking into account the environmentally and ecologically sensitive targets, land use pattern, location of the stacks, meteorological conditions and topographic features including existing ambient air quality data. The data so collected shall be properly analyzed and submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal in every six months.

v. Data on ambient air quality (RPM, SPM, SO_2, NOx) should be regularly submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh, Government of Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal and Central Pollution Control Board once in six months.

vi. Project authority shall take proper action to control the noise pollution. Workers engaged in operations of HEMM etc. shall be provided with ear plugs, muffs. The noise level shall not

exceed the limits 75 dB (A) during the daytime and 70 dB (A) during the night time within the mine premises. Project authority shall take adequate measures for control of noise level below 85 dB (A) in the work environment. Workers engaged in noisy areas shall be periodically examined to maintain audiometric record and for treatment for any hearing loss including rotating them to non-noisy/ less noisy areas.

vii. Project authority shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent mine water and domestic effluent. Project authority shall provide effluent treatment plant. Treated/un-treated effluent collection pond shall be lined suitably to prevent seepage in to ground for avoiding ground water contamination. All the effluent treatment system shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay otherwise similar alternate arrangement shall be made. Project authority shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment & Forests, Government of India.

viii. Any liquid effluent what so ever generated from industrial and mining activities shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process/plantation. All the industrial effluent generated shall be re-circulated/reused after proper treatment. Project authority shall provide sewage treatment plant of adequate capacity for treatment of domestic effluent generated. The un-treated/treated domestic effluent shall not be discharge into the river or any surface water bodies. The treated domestic effluent shall be used for plantation purpose after proper disinfection. Project authority shall make proper arrangements of suitable drains/pipe networks to ensure adequate flow for utilization of treated effluent inside the premises. The concept of zero discharge shall be maintained all the time except during monsoon. Arrangements shall be made that effluents and storm water do not get mixed.

ix. Project authority shall provide adequate measuring arrangements for the measurement of water utilized in different categories and effluent generated before commissioning of the expansion activity.

x. Personal working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.

xi. Occupational Health Surveillance of the workers should be done on a regular basis and records maintained as per the factories Act and records shall be maintained properly for at-least 30-40 years.

xii. The project authority shall also comply with all the environmental protection measures and safe guards recommended in the EIA/EMP report.

xiii. Provisions shall be made for the housing the labourers within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

xiv. Project authority shall establish an environmental management cell to carryout function relating to environmental management under the supervision of senior executive who shall directly report to the head of organization. A full-fledged laboratory with qualified technical/scientific staffs to monitor the influent, effluent, ground water, surface water, soil and ambient air quality etc. shall be provided.

xv. Adequate funds shall be allocated for undertaking CSR activities (community welfare, environmental development activities apart from committed plantation) and in any case it shall not be less than Rs. 10 lakhs per year with 10% annual increase in subsequent years. Details of activities shall also be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal. The funds earmarked for the environment protection measures shall not be diverted for other purpose and year-wise expenditure should be reported to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal. Piped drinking water, school, development of pastureland for cattle feed and medical facilities as desired by Gram Panchayat(s) to be provided. Local labourers shall be given employment in the mines.

xvi. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to amend/cancel any of the conditions and add new conditions and make further stringent the emission/effluent limit as and when deemed necessary in the interest of environmental protection, change in the project profile or non-satisfactory implementation of the stipulated conditions etc.

xvii. Project authority shall ensure the generation of employment in the local areas, recruitment shall be done by inviting applications first from the local residents of the Chhattisgarh State. In case of non-availability of suitable candidates for certain post in the first attempt, the project authority may call the applications as second call not only from local residents of the Chhattisgarh State but also from other State.

xviii. The project authority shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment and Forests at www.envfor.nic.in and website of SEIAA, Chhattisgarh at www.seiaacg.org.

xix. Half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions, monitoring data along with statistical interpretation and environment safeguards shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal.

xx. Regional Office of the Ministry of Environment and Forests at Bhopal shall monitor the implementation of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report and Environment Management Plan along with the additional information submitted from time to time shall be forwarded to the Regional Office for their use during monitoring.

xxi. The project authority shall inform the Regional Office as well as the SEIAA, Chhattisgarh regarding the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the dates of start of commissioning of plant.

xxii. Cultivable waste land (within 5 km of the lease) shall be identified and fodder farming or other suitable productive use of waste land shall be taken up in phased manner. Status of implementation shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal.

xxiii. Detailed action plan with respect to suggestions / improvements and recommendations made during public consultation/hearing shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg, SEIAA, Chhattisgarh, Government of Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal within six months.

xxiv. A final mine closure plan, along with details of corpus fund shall be submitted to the SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Bhopal, in 5 years in advance of the final mine closure for approval.

xxv. The environment clearance accorded shall be valid for a period of 5 years to start production with expanded capacity.

xxvi. Full cooperation shall be extended to the Scientists / Officers from the SEIAA, Chhattisgarh, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India /Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal / the CPCB / the Chhattisgarh Environment Conservation Board, who would be monitoring the compliance of environment status.

xxvii. In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh.

xxviii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xxix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xxx. The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and rules there under, Hazardous Materials (Management, Handling and Trans Boundary Movement) Rules, 2008 (as amended up to date) and its amendments, the Public Liability Insurance Act, 1991 and its amendments. The proponent shall ensure to provide for the costs incurred for taking up remedial measures in case of soil contamination, contamination of groundwater and surface water, and occupational and other diseases due to the washery operations.

xxxi. The issuance of this environmental clearance does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does not authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.

xxxii. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Secretary, SEAC

Vice Chairman, SEAC

संलग्नक–15

ग्राम पंचायत सिंगारपुर को खसरा नं. 395, कुल लीज क्षेत्र 8.70 हेक्टेयर, ग्राम–मेढ़ा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में शिवनाथ नदी से रेत उत्खनन क्षमता–50,000 घन मीटर/वर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. उत्खनन क्षेत्र 8.70 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घन मीटर/वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नही किया जायेगा, ताकि रेत उत्खनन के कारण नदी तल/नदी बेसिन की मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो ।

5. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जावेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी स्तह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जावेगा। न्यूनतम 02 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के उपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर की दूरी छोडकर ही किया जावें, जिससे नदी तटों का क्षरण न हो एवं इस पर नियंत्रण रखा जा सकें साथ ही किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 100 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

7. यह सुनिश्चित किया जावे कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्विडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

8. यह सुनिश्चित किया जावे कि उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव – जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नही किया जावे।

9. रेत उत्खनन दिन के समय ही किया जावे। रेत की खुदाई एवं भराई का कार्य रात्रि के समय नही किया जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जावे। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।

11. रेत उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जावे।

12. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जावे, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

13. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

14. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1740 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। नदी तट पर स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे।**

15. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा

निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

18. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइलटायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावें।

19. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

20. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

21. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

22. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट **www.envfor.nic.in** एवं एस.ई.आई.ए.ए.,छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

24. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

25. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

27. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जावे।

29. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड को पत्थर (गिट्टी) उत्खनन क्षमता–37,000 मीट्रिक टन/ वर्ष, खसरा नं. 538/1के, कुल लीज क्षेत्र 3.0 हेक्टेयर, ग्राम–डांडिया, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 3.0 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 37,000 मीट्रिक टन/वर्ष से अधिक नहीं होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे।
4. औद्योगिक प्रकिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रकिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे।
5. गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुॅच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रकिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
7. उत्खनन प्रकिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रकिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।
8. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।

9. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्न भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रकिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।

11. गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढँके हुये वाहन से किया जावे, ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावे। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावे।

13. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2015 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 600 पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।**

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिये। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।

15. उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।

16. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

18. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

19. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।

20. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

21. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

22. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

23. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

25. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं

क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

26. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

28. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

29. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

30. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

31. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.